ए.

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. और ए. एन. आर.

वी.

प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल और हमारा। (2018 का सिविल अपील सं. 3313 आदि)

बी.

27 मार्च, 2018

**[**आर**.** के**.** अग्रवाल और आर**.** भानुमती**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

एसएस।31(5) और 34-मध्यस्थता पुरस्कार-अपीलार्थी सं. 1 यू/एस द्वारा याचिका।34 पुरस्कार को रद्द करने के लिए, दायर किया गया-जिला न्यायाधीश द्वारा एस का पालन न करने के लिए अलग रखा गया पुरस्कार।31(5) – उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिका यू/एस।34 समय वर्जित था और इसलिए खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःमामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता चलता है कि अपीलार्थीगण संख्या 1 को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने और उनकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था-अपीलार्थीगण संख्या 1 पर मध्यस्थता पुरस्कार की सेवा उसके परिवार के सदस्यों (अन्य अपीलार्थीगण और प्रतिवादी) पर सेवा के बराबर है और इसलिए एस का पालन न करने का अनुरोध नहीं कर सकता है। 31(5) – याचिका यू/एस।34 इसलिए इसे सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया था।

सी.

डी.

एस।34 प्रावधान-दण्डादेश के लिए सीमा अवधि आयोजितःएस को प्रोविसो।34 न्यायालय को पर्याप्त कारण के लिए देरी को माफ करने का विवेकाधिकार देता है, लेकिन इस तरह के विवेकाधिकार को तीस दिनों की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **34** में मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने का प्रावधान है।धारा **34 (3)** में प्रावधान है कि एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि यह उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद किया जाता है जिस दिन आवेदक को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।धारा **34** के परंतुक में आगे यह प्रावधान है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदक को निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था**,** तो वह आवेदन पर विचार कर सकता है।

जी.

एच.

718 ए.

719

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. वी.प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल ए

तीस दिनों की एक और अवधि 'लेकिन उसके बाद नहीं'।परंतुक में 'लेकिन उसके बाद नहीं' शब्द अनिवार्य प्रकृति के हैं**,** और नकारात्मक में जोड़े गए हैं**,** और संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं।धारा **34** का प्रावधान अदालत को पर्याप्त कारण के लिए देरी को माफ करने का विवेकाधिकार देता है**,** लेकिन उस विवेकाधिकार को तीस दिनों की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है**,** जिसे विशेष रूप से 'लेकिन उसके बाद नहीं' शब्दों के उपयोग से स्पष्ट किया जाता है।**[**पारस **13** और **14] [725-**ई**] [726-**बी**-**डी**]**

बी.

अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाम दामिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी।

**(2007) 10** एस**.** सी**.** सी**. 742-**पर निर्भर।

सी.

**2.** अपीलार्थी नं**. 1** द्वारा दिनांकित पुरस्कार में यह वचन कि वह और उनके परिवार के सदस्य सहमत हुए और पुरस्कार को मंजूरी दी**,** यह दर्शाता है कि वह अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से काम कर रहे थे।उन्हें अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से **07.07.1996** दिनांकित पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।दिनांक **29.06.1996** के अंतरिम समझौता ज्ञापन में**,** अपीलार्थी संख्या **1** ने अपने लिए और अपनी पत्नी और अपने सभी बेटों और पुत्रवधू के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में हस्ताक्षर किए।दिनांकित **07.07.1996** पुरस्कार को चुनौती देते हुए**,** उन्होंने और उनके

परिवार के सदस्यों ने अधिनियम की धारा **34** के तहत एक ही याचिका दायर की है। इसी तरह उन्होंने मध्यस्थता याचिका में संशोधन के लिए एक ही याचिका दायर की है।अपीलार्थी नं**. 1** अपने परिवार का मुखिया होने के नाते**,** एक ऐसा व्यक्ति था जो सीधे तौर पर कार्यवाही से जुड़ा हुआ था और कार्यवाही में शामिल था और कार्यवाही के नियंत्रण में भी था।परिवार का मुखिया होने के नाते**,** वह मध्यस्थता पुरस्कार को समझने और उसकी सराहना करने और यह निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होता कि अधिनियम की धारा **34** के तहत आवेदन दायर करने की आवश्यकता थी या नहीं।ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में**,** अपीलार्थी संख्या **1** पर मध्यस्थता पुरस्कार की सेवा दूसरे अपीलार्थी **Nos.1 (a)** से **1 (d)** और प्रत्यर्थी **No.10** पर सेवा के बराबर है और वे अधिनियम की धारा **31 (5)** का पालन न करने का अनुरोध नहीं कर सकते हैं। अपीलार्थी संख्या **1** और अपीलार्थी संख्या **1 (**ए**)** से **1 (**डी**)** और प्रत्यर्थी **No.10** द्वारा अधिनियम की धारा **34** के तहत दायर आवेदन को सीमा द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।**[**पारस **22,23** और **26] [729-**एफ**-**एच**; 730-**ए**-**बी**; 731-**डी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

भारत संघ बनाम टेको त्रिची इंजीनियर्स और ठेकेदार (2005) 4 एस. सी. सी. 239; महाराष्ट्र राज्य और अन्य. v.आर्क बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (2011) 4 एससीसी 616 -

एच.

संदर्भित किया गया।



मामला कानून संदर्भ

**(2007) 10** एस**.** सी**.** सी**. 742** पैरा **14 (2005) 4** एस**.** सी**.** सी**. 239** पर निर्भर था जिसे पैरा **15 (2011) 4** एस**.** सी**.** सी**. 616** में संदर्भित किया गया है जिसे पैरा **16** में संदर्भित किया गया है।

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 3313।

2011 की रिट याचिका संख्या 4669 में औरंगाबाद में बंबई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से

सी.

के साथ

2018 की सिविल अपील संख्या 3314।

डी.

बसंत आर., सी. ए. सुंदरम, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रशांत आर. दहत, पुनीत यादव, टी. आर. बी. शिवकुमार, प्रशांत आर. दहत, जफर इनायत, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद।वकास, आदित्य प्रताप सिंह, अनिरुद्ध पी. मयी, शशिभूषण अदगांवकर, अवनीश एम. ओझा, चिराग जैन, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे. 1.अनुमति दी गई

2. अपीलार्थीगण ने ये अपीलें 2011 में डब्ल्यू. पी. संख्या 4669 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय की न्यायिक पीठ के दिनांकित निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की हैं और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 34 के प्रावधानों के तहत दिनांकित मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने पर रोक लगा दी गई थी।

एफ.

जी.

3. मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी No.1/Anilkumar पटेल और प्रत्यर्थी No.1/Pravinchandra पटेल जीनाभाई के असली भाई और बेटे हैं।उनके तीन अन्य भाई थे जो पहले से ही अलग हो चुके थे।जहाँ तक हमारे सामने पक्षकारों की बात है, वे निम्नानुसार संबंधित हैंः- ए.

एच.

721

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. वी.

प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल [आर. भानुमती, जे.] ए.

Jinabhai
Pravinchandra Jinabhai Patel (R1)
=Savitaben P. Patel/wife (R2)
Anilkumar Jinabhai Patel (A1)
=Geetaben A. Patel/wife (A1(a))*
Kalpita Dilipkumar Patel
(R3)
Alpita Jayesh Soni
(R4)
Trupti P. Patel
(R5)
Darshan A. Patel (A1(b))*
=Monika Darshan Patel/wife (R10)
Chetan A. Patel
(A1(c))*
Vikram A.Patel
(A1(d))*
[*Respondent Nos. 6 to 9 have been deleted as respondents and added as LRs of the appellant vide order dated 30.04.2015 in the SLP]

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल ने मिलकर जलगांव में उर्वरक निर्माण, रसायन और अचल संपत्ति का व्यवसाय शुरू किया।व्यवसाय के दौरान, उन्होंने कई कंपनियों और साझेदारी संस्थाओं की स्थापना की और कई अचल और चल संपत्तियों का अधिग्रहण किया। प्रवीणचंद्र पटेल की तीन बेटियाँ हैं, जो शादीशुदा हैं और जलगाँव के बाहर बस गई हैं। अनिलकुमार पटेल के तीन बेटे हैं, जो उनके साथ जलगांव में रह रहे हैं।जैसे-जैसे प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल के बच्चे बड़े हुए और किसी भी संभावित मुकदमेबाजी से बचने के लिए, दोनों भाइयों और उनके परिवार के सदस्यों ने परिवार की संपत्ति का विभाजन करने का फैसला किया।इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने लतिकाबेन (प्रतिवादी No.12) और भीखालाल नतालाल पटेल (प्रतिवादी No.11) से संपर्क किया जो प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल की बहन और बहनोई हैं और पक्षकार उन्हें मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हुए हैं।यह लतिकाबेन और भीखालाल नतालाल पटेल को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए दिनांक 1 दिनांकित एक समझौता ज्ञापन में समाप्त हुआ, जिस पर परिवार के सभी सदस्यों यानी अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगण ने हस्ताक्षर किए थे।

बी.

सी.

4. जबकि मध्यस्थ आपातकालीन कार्य के कारण राजकोट से दूर थे, प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल दोनों ने 29.06.1996 (IMOU) पर एक अंतरिम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके फर्मों और कंपनियों के चल रहे व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने का फैसला किया।उक्त आई. एम. ओ. यू. के समझौतों में बैंक खातों और निकासी की शक्ति, एन. पी. के. आवंटन आदि से संबंधित मामले शामिल थे। उक्त आई. एम. ओ. यू. पर प्रवीणचंद्र पटेल ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से हस्ताक्षर किए थे।इसी तरह, अनिलकुमार पटेल ने अपने लिए और अपनी पत्नी, अपने सभी बेटों और बहू के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में आई. एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर किए।

डी.

ई.

5. मध्यस्थ आई. डी. 1 पर जलगाँव पहुँचे और मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखी और आई. डी. 2 पर (आई. एम. ओ. यू. दिनांक आई. डी. 3 के उल्लेख के साथ) निर्णय पारित किया, जिसके तहत प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल को कुछ संपत्तियां दी गईं, जबकि

कुछ अन्य संपत्तियों को दोनों समूहों के समान अधिकारों और ब्याज के साथ अविभाजित रखा गया।यह पुरस्कार गुजराती भाषा में मध्यस्थों द्वारा हाथ से लिखा गया था और मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित था।पुरस्कार की प्रति प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल को मध्यस्थों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई थी जिसे उनके द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।पुरस्कार की प्रति पर प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल दोनों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें कहा गया है कि वे और उनके परिवार के सदस्य पुरस्कार के अनुसार कार्य करेंगे और उसी को लागू करेंगे। फिर एक पुरस्कार ए द्वारा

एफ.

जी.

एच.

723

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. वी.

प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल [आर. भानुमती, जे.] ए.

दिनांक 03.11.1996, अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगणओं के बीच के मुद्दों को अंततः पहले के पुरस्कारों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था।प्रवीणचंद्र पटेल के अनुसार, अनिलकुमार पटेल ने एक से अधिक अवसरों पर पुरस्कार स्वीकार किए और उन पर कार्य किया।

6. हालांकि, अनिलकुमार पटेल और उनके परिवार के सदस्यों (अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10) ने अधिनियम की धारा 34 के तहत 2005 की एक मध्यस्थता याचिका No.202 जिला न्यायाधीश, जलगांव के समक्ष 29.11.2005 पर दायर की, जिसमें दिनांकित 07.07.1996 के पुरस्कार को चुनौती देते हुए कहा गया कि उन्हें मध्यस्थता पुरस्कार के बारे में केवल 11.08.2005 पर पता चला जब उन्हें प्रवीणचंद्र पटेल द्वारा दायर निष्पादन याचिका का नोटिस दिया गया था।इसलिए, अपीलकर्ता-अनिलकुमार पटेल के अनुसार, सीमा की अवधि केवल 11.08.2005 से शुरू होती है, उनकी पुरस्कार की प्रति प्राप्त होने की तारीख से।यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10 को दिनांकित 07.07.1996 पुरस्कार में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था और पुरस्कार उन पर बाध्यकारी नहीं है।उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया है कि पुरस्कार एक झूठा और धोखाधड़ी वाला दस्तावेज है।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मध्यस्थता पुरस्कार में अनिलकुमार पटेल के हस्ताक्षर जाली थे और इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

बी.

सी.

डी.

7. बाद में, अनिलकुमार पटेल द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत एक संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया था कि 2005 की मध्यस्थता याचिका में दिनांक 1 के पुरस्कार को चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए, एक संशोधन द्वारा दिनांक 1 के पुरस्कार को भी चुनौती देने की मांग की गई थी।उक्त आवेदन को जिला न्यायालय द्वारा 30.06.2006 पर सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था जिसे 2006 के W. P. No.5502 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष आगे चुनौती दी गई थी।उसी को मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए 21.08.2006 पर जिला न्यायाधीश को भेज दिया गया था।रिमांड के बाद, जिला न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा सीमा के आधार पर संशोधन आवेदन को फिर से खारिज कर दिया।उक्त दिनांकित 28.09.2006 आदेश को अनिलकुमार पटेल ने 2006 के W. P. No.7614 के तहत फिर से चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि अनिलकुमार पटेल अनुमोदन और खंडन की रणनीति अपना रहे हैं और अनिलकुमार पटेल कुछ अदालती कार्यवाही में दिनांक 1 के पुरस्कार की जानकारी से इनकार करके अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं, हालांकि कुछ अन्य कार्यवाही में, उन्होंने उक्त पुरस्कार पर भरोसा किया है और उक्त पुरस्कार के आधार पर लाभ उठाने की मांग की है।

ई.

एफ.

जी.

एच.



8. जहां तक दिनांक 2 के अधिनिर्णय को चुनौती देने का संबंध है, जिला न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन को अन्य बातों के साथ अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की गणना उस समय से की जानी है जब संबंधित पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार की प्रति प्राप्त हुई थी।जिला न्यायाधीश ने इस निर्णय को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि धारा 34 के तहत आवेदन में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं और यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अनिलकुमार पटेल को अन्य आवेदकों द्वारा उनकी ओर से पुरस्कार की एक

प्रति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया था और यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता Nos.1 (a) से 1 (d) और प्रत्यर्थी No.10 ने अधिनियम की धारा 31 (5) के संदर्भ में पुरस्कार प्राप्त किया था।

बी.

सी.

9. इससे व्यथित होकर, प्रवीणचंद्र पटेल ने 2011 का डब्ल्यू. पी. No.4669 दायर किया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के विवादित निर्णय द्वारा जिला न्यायाधीश के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अधिनियम की धारा 34 के तहत वर्ष 2005 में दायर याचिका पर समय की पाबंदी थी।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अब तक के 2006 के 2006 के 2006 

परिवार के सदस्यों को नहीं दी गई थी और पुरस्कार के अस्तित्व के बारे में केवल जानकारी किसी भी तरह से सीमा की अवधि की शुरुआत नहीं होगी।अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सीमा अवधि की गणना केवल उस दिन से की जा सकती है जिस दिन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 (5) के प्रावधान के तहत मध्यस्थता पुरस्कार की मूल हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होती है।

जी.

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगणओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलार्थी के ए का खंडन करने के लिए दस्तावेजों की संख्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

एच.

725

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. वी.

प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल [आर. भानुमती, जे.] ए.

तर्क जिसमें अपीलार्थी-अनिलकुमार पटेल ने स्वयं कई बार स्वीकार किया कि मध्यस्थता पुरस्कार उनकी जानकारी में था और कानूनी कार्यवाही सहित कई अवसरों पर 07.07.1996 और 03.11.1996 दिनांकित पुरस्कारों का उपयोग किया।प्रवीणचंद्र पटेल का आगे तर्क यह है कि मध्यस्थ जो कोई और नहीं बल्कि उनकी बहन लतिकाबेन (प्रतिवादी No.12) और भिखलाल नतालाल पटेल (प्रतिवादी No.11) लतिकाबेन के पति थे, जो दो भाइयों के बीच मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए राजकोट से जलगांव आए थे, जो दोनों पक्षों के कहने पर था और हालांकि, पुरस्कार को मनगढ़ंत या पक्षपातपूर्ण नहीं माना जा सकता है।

बी.

12. दोनों पक्षों की ओर से उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर और विवादित निर्णय और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन पर, निम्नलिखित बिंदु विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः-

सी.

(1) क्या अनिलकुमार पटेल ने मध्यस्थता कार्यवाही में अपने परिवार का प्रतिनिधित्व किया और क्या प्रत्यर्थीगण का यह तर्क सही है कि अनिलकुमार पटेल द्वारा पुरस्कार की प्रति की प्राप्ति उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए थी?

डी.

(2) क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था?

13. अधिनियम की धारा 34 में मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन दायर करने का प्रावधान है।अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) आवेदन करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करती है।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) इस प्रकार हैः-

ई.

34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।- (1) सहारा

माध्यस्थम अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय को केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा दिया जा सकता है।

एफ.

(2) .....

(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस दिन उस अनुरोध का निपटारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया गया थाः

जी.

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को पर्याप्त कारण से आवेदन करने से रोका गया था

एच.



तीन महीने की उक्त अवधि में वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

14. धारा 34 (3) में प्रावधान है कि एक पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि यह उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के

बाद किया जाता है जिस दिन आवेदक को मध्यस्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।धारा 34 के परंतुक में आगे यह प्रावधान है कि यदि अदालत का समाधान हो जाता है कि आवेदक को निर्धारित समय के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।

बी.

( अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाम दामिनी कंस्ट्रक्शन कंपनी (2007)

10 एससीसी 742)।परंतुक में 'लेकिन उसके बाद नहीं' शब्द अनिवार्य प्रकृति के हैं, और नकारात्मक में जोड़े गए हैं, और संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं।धारा 34 का प्रावधान न्यायालय को पर्याप्त कारण के लिए देरी को माफ करने का विवेकाधिकार देता है, लेकिन उस विवेकाधिकार को तीस दिनों की अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जो विशेष रूप से धारा 34 के उपयोग से स्पष्ट किया जाता है।

सी.

शब्द 'लेकिन उसके बाद नहीं'।

डी.

15. भारत संघ बनाम टेको त्रिची इंजीनियर्स और

ठेकेदार (2005) 4 एस. सी. सी. 239, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मध्यस्थता पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने के लिए सीमा के मुद्दे के संबंध में कहा कि सीमा की अवधि अधिनियम की धारा 31 (5) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार के वैध वितरण के बाद ही शुरू होगी। पैरा (8) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

ई.

“8. धारा 31 की उप-धारा (5) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार का वितरण केवल औपचारिकता का विषय नहीं है।यह सार की बात है।धारा 31 के तहत चरण पारित होने के बाद ही अधिनियम की धारा 32 के अर्थ के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति का चरण उत्पन्न होता है।पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार का वितरण, प्रभावी होने के लिए, पक्ष द्वारा "प्राप्त" किया जाना चाहिए।मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा यह वितरण और पुरस्कार के पक्ष द्वारा रसीद कई अवधियों की सीमा निर्धारित करती है जैसे कि धारा 33 (1) के तहत 30 दिनों के भीतर किसी पुरस्कार के सुधार और व्याख्या के लिए आवेदन, धारा 33 (4) के तहत अतिरिक्त पुरस्कार देने के लिए आवेदन और धारा 34 (3) के तहत एक पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन आदि।चूंकि पुरस्कार की प्रति के इस वितरण का पक्ष को कुछ अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ उन ए का प्रयोग करने के अधिकार को समाप्त करने का प्रभाव पड़ता है।

एफ.

जी.

एच.

727

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. वी.

प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल [आर. भानुमती, जे.] ए.

सीमा की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अधिकार जिसकी गणना उस तारीख से की जाएगी, न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार की प्रति का वितरण और प्रत्येक पक्ष द्वारा उसकी प्राप्ति मध्यस्थता कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण चरण है।"

16. महाराष्ट्र राज्य में और अन्य. बनाम.आर्क बिल्डर्स प्रा.

लि**., (2011) 4** एस**.** सी**.** सी**. 616** ने**,** टेको त्रिची इंजीनियर्स मामले में फैसले का पालन करते हुए**,** यह अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति**. "**पक्ष यह बना रहा है।

बी.

आवेदन को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था। "

अलगाव और यह समझना चाहिए कि अधिनियम की धारा 31 (5) के तहत पुरस्कार की एक हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्ष को देने की आवश्यकता है।अधिनियम की धारा 34 (3) और धारा 31 (5) के संचयी पठन से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित सीमा अवधि केवल उस पक्ष को दिए गए पुरस्कार की हस्ताक्षरित प्रति की तारीख से शुरू होगी जो इसे अलग करने के लिए आवेदन करता है।

सी.

17. अपीलार्थीगण का तर्क है कि अनिलकुमार के परिवार के अन्य सदस्य।, अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10, अपीलार्थी संख्या 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10 को पुरस्कार की प्रति प्राप्त नहीं हुई और उन्हें पुरस्कार की जानकारी केवल तब थी जब निष्पादन याचिका दायर की गई थी और जब उन्हें निष्पादन याचिका में नोटिस प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10 की दलील यह है कि अधिनियम की धारा 31 (5) के संदर्भ में, पुरस्कार की प्रति प्रत्येक पक्ष को दी जानी चाहिए ताकि वे पुरस्कार को चुनौती दे सकें और चूंकि पुरस्कार की प्रति व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं दी गई थी, इसलिए सीमा की अवधि उस तारीख से ही शुरू होगी जब उन्हें पुरस्कार की प्रति मिली थी।

डी.

ई.

18. जैसा कि पहले बताया गया है, अनिलकुमार पटेल ने पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए हैं और निम्नलिखित समर्थन के साथ पुरस्कार की प्रति प्राप्त की हैः- “मेरे लिए और मेरे परिवार के सदस्यों की ओर से "।

एफ.

क्या अनिलकुमार पटेल द्वारा उपरोक्त अनुमोदन के साथ पुरस्कार की प्राप्ति को उनके परिवार के सदस्यों-अपीलार्थी Nos.1 (a) से 1 (d) और प्रत्यर्थी No.10 द्वारा पुरस्कार की प्राप्ति के रूप में माना जा सकता है, यह विचार के लिए आने वाला मुद्दा है।

जी.

19. प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल ने अपनी बहन लतिकाबेन और उनके पति भीखालाल नतालाल पटेल को दोनों परिवारों के बीच विभाजन के लिए नियुक्त किया है और दोनों परिवारों ने इसके लिए सहमति व्यक्त की है।समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

एच.



प्रवीणचंद्र पटेल और उनकी पत्नी और बेटियाँ (उत्तरदाता संख्या 1 से 5) और अनिलकुमार पटेल और उनकी पत्नी और उनके तीन बेटे और एक बहू (अपीलार्थी संख्या 1 (मृत) और अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10)।मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए समझौता ज्ञापन (21.05.1996) में कहा गया है किः((i) पुरस्कार लिखित रूप में होना चाहिए और (ii) परिवार के प्रत्येक सदस्य को पुरस्कार की प्रति प्रदान करना।समझौता ज्ञापन का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

बी.

“.....मध्यस्थ विभाजन के विवरण के साथ-साथ विभाजन को प्रभावी बनाने के लिए नियम और शर्तों को लिखेंगे और मध्यस्थ इस पर हस्ताक्षर करेंगे।मध्यस्थ इसकी उतनी ही प्रतियां बनाएँगे जितनी सदस्य हों और प्रत्येक सदस्य को इसकी एक प्रति देंगे।और उसके बाद दोनों परिवार मध्यस्थों द्वारा दिए गए विभाजन के विवरण के अनुसार कार्य करेंगे और संपत्तियों और व्यावसायिक संपत्तियों का विभाजन कराएंगे।

सी.

20. जैसा कि पहले बताया गया है, जब मध्यस्थ आपातकालीन कार्य के कारण राजकोट से दूर थे, प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल दोनों ने 29.06.1996 (IMOU) पर एक अंतरिम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके फर्मों और कंपनियों के चल रहे व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने का फैसला किया।उक्त आई. एम. ओ. यू. के समझौतों में बैंक खाते और सत्ता की निकासी, एन. पी. के. आवंटन आदि से संबंधित मामले शामिल थे। उक्त आई. एम. ओ. यू. पर प्रवीणचंद्र पटेल ने निम्नलिखित समर्थन के साथ हस्ताक्षर किए थेः-

डी.

"पी. जे. पटेल (समूह संख्या 1) अपने लिए और पत्नी और सभी बेटियों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में भी।

ई.

इसी तरह उक्त आई. एम. ओ. यू. में अनिलकुमार पटेल ने अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से हस्ताक्षर किए, जैसा कि निम्नलिखित समर्थन से देखा जा सकता हैः-

"ए. जे. पटेल (समूह संख्या 2) स्वयं के लिए और पत्नी, सभी बेटों और बहू के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में भी।"

एफ.

21. 07.07.1996 दिनांकित पुरस्कार पर दोनों मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल ने भी इस पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए।दोनों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और खुशी के साथ पुरस्कार को लागू करने का बीड़ा उठाया है, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जा सकता हैः-

जी.

"इस मध्यस्थता "पुरस्कार" के अनुसार, दोनों समूहों और उनके परिवार के सदस्यों को ईमानदारी से, पूरे दिल से और ईमानदारी से संपत्ति के लेनदेन के अनुसार कार्य करना होगा और इसे लागू करना होगा, आई. एम. ओ. यू. जिसे अब एम. ओ. यू. के रूप में माना जाता है और कंपनियों और फर्मों के संबंध में लेखा चार्ट।

एच.

.....

729

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. वी.

प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल [आर. भानुमती, जे.] ए.

ए.

उपरोक्त मध्यस्थता पुरस्कार मैं अपने वंशजों और संरक्षकों और उत्तराधिकारियों से सहमत और अनुमोदित था।हम इसे स्वतंत्र इच्छा और आनंद के साथ लागू करने का वचन देते हैं।"

पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने के लिए गुजराती भाषा में दिए गए पुरस्कार में उनके हस्ताक्षर के बाद, प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल ने कहा हैः-

बी.

".....अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से।" यह ध्यान देने योग्य है कि पुरस्कार में आई. एम. ओ. यू. दिनांक आई. डी. 1 का भी उल्लेख किया गया है और जिसके द्वारा संबंधित परिवारों के सदस्यों ने प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल को अपने परिवार के सदस्यों की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।

सी.

22. दिनांकित पुरस्कार 03.11.1996 भी दिनांकित पुरस्कार 07.07.1996 को संदर्भित करता है।आई. डी. 1 दिनांकित पुरस्कार पर प्रवीणचंद्र पटेल और अनिलकुमार पटेल ने भी हस्ताक्षर किए थे और दोनों ने यह कार्य किया है कि मध्यस्थता पुरस्कार पर उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा विधिवत सहमति और अनुमोदन किया गया है और आगे पुरस्कार के अनुसार कार्य करने और उसे प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है।दिनांकित 03.11.1996 पुरस्कार में उक्त समर्थन इस प्रकार हैः-

डी.

"उपरोक्त मध्यस्थता पुरस्कार पर मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों, वंशजों के उत्तराधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा विधिवत सहमति और अनुमोदन किया जाता है।मेरे परिवार के सदस्य और मैं पुरस्कार के अनुसार कार्य करने और उसे प्रभावी बनाने का पूरी तरह से आश्वासन देते हैं।"

ई.

जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, अनिलकुमार पटेल 2006 के W.P.No.7614 में निष्कर्षों के संदर्भ में अंतिमता प्राप्त करने वाले दिनांकित 03.11.1996 पुरस्कार को चुनौती देने के अपने प्रयास में असफल रहे।पुरस्कार में अनिलकुमार पटेल का वचन कि वह और उनके परिवार के सदस्य सहमत हुए और पुरस्कार को मंजूरी दी, यह दर्शाता है कि अनिलकुमार पटेल अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से काम कर रहे थे।

एफ.

23. पुरस्कार दिनांक 07.07.1996 अनिलकुमार पटेल ने अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों की ओर से प्राप्त किया था।आई. डी. 1 दिनांकित अंतरिम समझौता ज्ञापन में,

अनिलकुमार पटेल ने अपने लिए और अपनी पत्नी और अपने सभी बेटों और बहू के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में हस्ताक्षर किए।दिनांकित 07.07.1996 पुरस्कार को चुनौती देते हुए, अनिलकुमार पटेल और उनके परिवार के सदस्यों ने अधिनियम की धारा 34 के तहत एक ही याचिका दायर की है। इसी तरह उन्होंने 2005 की मध्यस्थता याचिका No.202 में संशोधन के लिए एक ही याचिका दायर की है।अनिलकुमार पटेल अपने परिवार के मुखिया होने के नाते सीधे तौर पर एक व्यक्ति थे।

जी.

एच.

730

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 3 एस सी आर।

कार्यवाही से जुड़ा हुआ और उसमें शामिल था और कार्यवाही के नियंत्रण में भी था।परिवार के मुखिया होने के नाते, अनिलकुमार पटेल मध्यस्थता पुरस्कार को समझने और उसकी सराहना करने और यह निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होते कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने की आवश्यकता थी या नहीं।ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारे सुविचारित विचार में, अनिलकुमार पटेल पर मध्यस्थता निर्णय की सेवा दूसरे अपीलार्थी Nos.1 (a) से 1 (d) और प्रत्यर्थी No.10 पर सेवा के बराबर है और वे अधिनियम की धारा 31 (5) का पालन न करने का अनुरोध नहीं कर सकते हैं। 24.उच्च न्यायालय ने विभिन्न परिस्थितियों को गिना है जो इंगित करते हैं कि अनिलकुमार पटेल दिनांकित पुरस्कार के बारे में अच्छी तरह से जानते थे और पक्षों के बीच आंतरिक संचार और विभिन्न कानूनी कार्यवाही में पुरस्कार पर भी भरोसा करते थे।“अनिलकुमार पटेल द्वारा प्रवीणचंद्र पटेल को भेजा गया अंतर कार्यालय ज्ञापन "दिनांक 22.07.1996, जिसमें बांभोरी, तालुका ब्रांडोल के गैट No.266/2 की फाइल की डिलीवरी की मांग की गई थी।अनिलकुमार पटेल ने कहा है कि बांभोरी के गॉट No.266/2 में कृषि भूमि उनके हिस्से में आ गई है और चूंकि उस पक्ष द्वारा कुछ विवाद उठाया गया है जिसके द्वारा बिक्री-विलेख निष्पादित किया जाना है, इसलिए अनिलकुमार पटेल ने गॉट No.266/2 में उल्लिखित कृषि भूमि के संबंध में रखी गई फाइल को सौंपने का अनुरोध किया है।उक्त अंतर कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 22.07.1996 पर भी, अनिलकुमार पटेल ने 07.07.1996 दिनांकित पुरस्कार पर कार्रवाई की थी।

बी.

सी.

डी.

25. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रवीणचंद्र पटेल, मेसर्स पटेल नारायणदास भगवानदास फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ O.A.No.298-A/2001 में वसूली की कार्यवाही दायर की है।डी. आर. टी. के समक्ष उक्त कार्यवाही में, अनिलकुमार पटेल ने जुलाई, 1996 में पारित मध्यस्थता निर्णय का उल्लेख किया है और कहा है कि उन्हें मेसर्स पटेल नारायणदास भगवानदास फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में कोई दिलचस्पी नहीं है।डी. आर. टी. ने पाया कि अनिलकुमार पटेल ने उक्त कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें बैंक के दायित्व से मुक्त कर दिया था और अनिलकुमार पटेल और अतुलकुमार मगनलाल पटेल के खिलाफ आई. डी. 1 को खारिज कर दिया था।उच्च न्यायालय ने उक्त डी. आर. टी. कार्यवाही और विभिन्न अन्य परिस्थितियों का उल्लेख किया जिसमें अनिलकुमार पटेल ने मध्यस्थता पुरस्कार का लाभ उठाया था और उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- ".....प्रत्यर्थीगण ने, जाहिर है, जहां भी उनके लिए संभव था, कई स्थानों पर, मध्यस्थता पुरस्कार का लाभ उठाया और अब चूंकि उनकी ओर से दायित्व का पालन ए के पक्ष में किया जाना है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

731

अनिलकुमार जीनाभाई पटेल (डी) टीएचआर। एल. आर. वी.

प्रवीणचंद्र जीनाभाई पटेल [आर. भानुमती, जे.]

याचिकाकर्ता ने नौ साल बाद पुरस्कार को चुनौती देना शुरू कर दिया है।

अभिलेख पर लाई गई विभिन्न परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अनिलकुमार पटेल को अन्य अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10 द्वारा पुरस्कार की प्रति प्राप्त करने और उनकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था और हमें उच्च न्यायालय से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं मिलता है।

बी.

26. जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही देखा गया है, अनिलकुमार पटेल ने कोरियोग्राफ की गई याचिका का मसौदा तैयार करके दिनांकित आई. डी. 1 में अपने हस्ताक्षर पर भी विवाद करने की हद तक चले गए हैं।अनिलकुमार पटेल के माध्यम से पुरस्कार स्वीकार करने के बाद,

परिवार के मुखिया होने के नाते, अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10 यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें पुरस्कार की प्रति प्राप्त नहीं हुई थी।उच्च न्यायालय ने

सी.

उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि ". अनिलकुमार द्वारा अपनी और प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. की ओर से प्रतिलिपि प्राप्त करना। 2 से 6 तक, एक पावती के तहत, अधिनियम की धारा 31 (5) और धारा 34 (3) के अनुपालन के संदर्भ में है।

डी.

"और यह कि अनिलकुमार पटेल और अपीलार्थी संख्या 1 (ए) से 1 (डी) और प्रत्यर्थी No.10 द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था।हमें विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

27. नतीजतन, अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।कोई लागत नहीं।

ई.

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

एफ.

जी.

एच.